१७–०९–२०१७

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस मामले में विवेचना अधिकारी ने विवेचना उपरान्त अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रस्तुत की है कि, अभियुक्त ने विद्युत अधिनियम की धारा–१५२(१) के अधीन प्रशमन राशि व राजस्व निर्धारण राशि विभाग में जमा कर दी है।

वादी मुकदमा को नोटिस भेजा गया। वादी मुकदमा की ओर से पावर कार्पोरेशन के पैनल अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता उपस्थित हुए और कहा कि, अन्तिम आख्या स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि, इस मामले में प्रशमन राशि व राजस्व निर्धारण राशि विभाग में जमा की जा चुकी है और वादी मुकदमा की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के पैनल अधिवक्ता को विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त अन्तिम आख्या स्वीकृत की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आर०बी० सरोज)
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट),
मुरादाबाद।